ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिफलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

DR. RAM MANOHAR LOHIA AWADH UNIVERSITY, AYODHYA

AYODHYA-224001

सन्दर्भ संख्या:AWADHUUNI/संब/अनापत्ति/ 2380 /2025

दिनांक:10/02/2025

अनापत्ति पत्र-पूर्व संचालित महाविद्यालय

शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांकः 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या-1963/सत्तर-2-2013-16(165)/2012 टीसी दिनांकः 11.12.2013, शासनादेश संख्या-710/सत्तर-2-2014-16(165)/2012 टी०सी०, दिनांकः 14 नवम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्याः-23/2016/772/सत्तर-2-2016-16(116)/2015 टी०सी०-।। दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016 के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांकः 10/02/2025 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी RAM KHELAWAN SANSKRIT SEWA SAMITI द्वारा प्रस्तावित RAM KHELAWAN MAHAVIDYALAYA SHEKHPUR DAMODAR ASANDARA BARABANKI को PG स्तर पर

	Course Name	Subject Name
1	MASTER OF ARTS	HOME SCIENCE
2	MASTER OF ARTS	URDU
3	MASTER OF SCIENCE	CHEMISTRY
4	MASTER OF SCIENCE	PHYSICS
5	MASTER OF SCIENCE	ZOOLOGY

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है

1- पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि : SEKHPUR में स्थित गाटा संख्या का विवरण-

sr.	Gata/plot no	Area(SQM)
1	148	20300

पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

2- यह अनापत्ति शासनादेश दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016 के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये भूमि सम्बन्धी शपथ पत्र एवं महाविद्यालय को पूर्व निर्गत अनापत्ति के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।।

3- उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं०-3075/सत्तर-2-2002-2 (166)/2002 दिनांक 27.09.2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

4- उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।

5- पाठ्यक्रम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता/राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।

6- संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

7- शासनादेश संख्याः-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांकः 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त अनापत्ति पर/सम्बद्धता प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्बाधन (क्लीयरेन्स) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।

8- परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों हेतु सशर्त अनापत्ति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि सम्बन्धित महाविद्यालय निरीक्षण मण्डल गठन के पूर्व नैक मूल्यांकित होने तथा नैक मूल्यांकन प्रक्रियाधीन होने (एस.एस.आर. जमा होने) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

9- विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि प्रवेश किये जाते है तो ऐसे प्रवेश वैध नहीं होगें तथा इसके सम्बन्ध में कोई भी दावा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविश्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, Barabanki
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. प्रबन्धक/सचिव, RAM KHELAWAN MAHAVIDYALAYA SHEKHPUR DAMODAR ASANDARA BARABANKI
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

कुल सचिव

SCAN AnyScanner